जिला उद्योग मित्र बैठक

दिनॉक – 02.07 .2021

अध्यक्षताः– श्रीमति रंजना राजगुरु

(आई0ए0एस0)

जिलाधिकारी, ऊधमसिहनगर।

स्थान– ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम हॉल, कलैक्ट्रेट सभागार, रूद्रपुर।

दिनांक 02.07.2021 को प्रस्तावित जिला उद्योग मित्र की बैठक हेतु एजेण्डा।			
क्रमांक.	समस्यायें	निर्देश / प्रकरण	कार्यवाही / टिप्पणी
1.	2.	3.	4.
1	दिनांक 17.12.2020 को सम्पन्न जिला स्तरीय उद्योग मित्र बैठक का कार्यवृत्त की पुष्टि	जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सम्पादित बैठक दिनांक 17.12.2020 के कार्यवृत्त पत्रांक 1700–VI दिनांक 27.01.2020 के द्वारा सभी सदस्य गणों को निर्देशों के अनुपालनार्थ प्रेषित की जा चुकी है।	
2	सिडकुल पंतनगर में विद्युत व्यवस्था के संबंध में।	क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, पन्तनगर द्वारा अवगत कराया गया कि औद्योगिक आस्थान, पंतनगर में कुल 2200 स्ट्रीट लाईटो के सापेक्ष 1872 लाईटे सुचारु की जा चुकी है। अवशेष स्ट्रीट लाईने गम्भीर क्षतिग्रस्त होने के कारण कार्यवाही गतिमान है। चर्चा के दौरान उद्यमियों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया कि विद्युत व्यवस्था में सुधार हुआ है परन्तु कुछ सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि सिडकुल के कई चौराहों पर लाइट सूचारू नहीं है, जिससे मजदूरों को रात्रि में आने जाने में समस्या उत्पन्न होती है। अध्यक्ष महोदया द्वारा निर्देश दिये गये कि क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल पंतनगर सांय के समय सिडकुल मार्गों का दौरा कर खराब स्ट्रीट लाइटों की सूची तैयार करें एवं उन्हें यथाशीध्र ठीक कराने की कार्यवाही करें।	इस सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी (नजूल) द्वारा बैठक में उपस्थित सिडकुल के अवर अभियन्ता (विद्युत) को निर्देशित किया कि वह 15 दिनो के भीतर सम्पूर्ण व्यवस्था को सुचारु कर एशोसियेसन द्वारा की जा रही मॉग का निराकरण करा लिया जाये। कार्यवाही : अवर अभियन्ता(विद्युत), सिडकुल पंतनगर।
3	सिडकुल पंतनगर में सडको की खराब स्थिति के संबंध में।	क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, पन्तनगर द्वारा अवगत कराया गया कि सिडकुल पंतनगर में सड़कों की मरम्मत हेतु लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर को धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है परन्तु लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस विषय पर वार्ता करने पर विभाग द्वारा अवगत कराया जाता है कि टैंडर लगे हैं, जल्द ही कार्यवाही आरम्भ कर दी जायेगी। इस पर अध्यक्ष महोदया, द्वारा महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, ऊधम सिंह नगर को निर्देशित किया कि अवस्थापना सुविधा विकास से संबंधित विभागों की बैठक अलग से आयोजित कराई जाए एवं अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर को भी बैठक में आमंत्रित किया जाये।	अध्यक्ष महोदया, द्वारा महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, ऊधम सिंह नगर को निर्देशित किया कि अवस्थापना सुविधा विकास से संबंधित विभागों की बैठक अलग से आयोजित कराई जाए एवं अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर को भी बैठक में आमंत्रित किया जाये। कार्यवाही : लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर
4	सिडकुल पन्तनगर में सी0ई0टी0पी0 के संबंध मे।	क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, पन्तनगर द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था पेयजल निगम रुड़की द्वारा सिडकुल के अन्य क्षेत्रों (सैक्टर 11,12,14 एवं आईटीबीटी पार्क) की शिविर लाइन जो सीईटीपी लाइन में संयोजित नहीं है, पर कार्य किया जा रहा है। सिडकुल प्रबंधन द्वारा रु0 521.14 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था को	इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, पन्तनगर द्वारा अवगत कराया गया कि सी0ई0टी0पी0 लाईन (सैक्टर 11,12,14 एवं आईटीबीटी पार्क) की शिविर लाइन को सीईटीपी लाइन से जोडने हेतु विन्दु अध्यक्ष महोदय के सम्मूख उठाया गया था, जो

		अवमुक्त की जा चुकी है, कार्यवाही गतिमान है। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा सीईटीपी संचालन पर संतोष व्यक्त किया गया। अध्यक्ष महोदया द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल को निर्देश दिये गए कि सीईटीपी संचालन को और प्रभावी किया जाए।	पूर्ण करा लिया गया है। विन्दु विलोपति किये जाने पर सहमति बनी।
5	सिडकुल परिसर में दुकानों एवं शौचालय के आवंटन के सम्बन्ध में:–	क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल पन्तनगर द्वारा अवगत कराया गया कि सिडकुल पन्तनगर में फैसिलटी ब्लॉक के अन्तर्गत सेक्टर 01, सेक्टर 03 एवं सैक्टर आईआईडीसी में बने शौचालयों का संचालन किया जा रहा है तथा दुकानों के आवंटन हेतु टेण्डर प्रक्रिया गतिमान है, जिसे शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा। इस पर सभी सदस्य सहमत थे।	दुकानों के आवंटन हेतु टेण्डर प्रक्रिया की कार्यवाही मुख्यालय स्तर पर गतिमान है, जिसे शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा।
6	उद्योगों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में।	अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में विद्युत आपूर्ति से संबंधित समस्त समस्याओं का निराकरण कर दिया गया है यदि वर्तमान में किसी भी उद्यमी को विद्युत आपूर्ति के संबंध में किसी प्रकार की समस्या होती है, तो वे अपनी समस्या इस हेतु बनाये गये व्हट्स्ऐप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, जिसका तत्काल समाधान करने का प्रयास किया जायेगा। केजीसीसीआई, रूद्रपुर के अध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि लालपुर क्षेत्र में 02 से 04 घण्टे का शटडाउन किया जा रहा है एवं इस विषय पर अधीक्षण अभियन्ता से वार्ता करने पर ज्ञात हुआ कि उनको इस शटडाउन के संबंध में कोई जानकारी ही नहीं है, इस पर बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा रोष व्यक्त किया गया। सिडकुल इन्टरप्रिन्योर वैलफेयर सोसायटी, सितारगंज के अध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि सितारगंज में करोड़ों के विद्युत उपकरण खुले आसमान के नीचे पड़े हैं, जिससे राजकीय धन का दुरूपयोग किया जा रहा है। जिलाधिकरी महोदया द्वारा उपरोक्त प्रकरण पर अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, सितारगंज को स्थिति की विस्तरित आख्या तैयार करते हुए विद्युत कटौती व अन्य बिन्दुओं पर चर्चा तथा समाधान हेतु आगामी अवस्थापना सुविधा की बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए।	1– अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल रूद्रपुर – अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल रूद्रपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या 2494 दिनॉक 24.06.2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि विद्युत सप्लाई के सम्बन्ध में उद्योगों को इस हेतु बनाये गये वट्सऐप ग्रुप के माध्यम से सूचित किया जाता है। 2– क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल पन्तनगर – सितारगंज के अध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि सितारगंज में करोड़ों के विद्युत उपकरण खुले आसमान के नीचे पड़े है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रथम चरण में यू0पी0आर0एन0एन0 द्वारा एक सब–स्टेशन में 33के0वी0 का ट्रांसफार्मर स्थल पर आ चुका है, जिसमें पिटकुल द्वारा एच0टी0 ओवरहैड लाईन मौके पर पहुंचा दी गई है। एच0टी0लाईन को केबल के माध्यम से ट्रांसफर तक लाने का कार्य गतिमान है। शीघ्र ही कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी।
7	सिडकुल, पन्तनगर में पार्किंग व्यवस्था के सम्बन्ध में।	क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल पन्तनगर द्वारा अवगत कराया गया कि सिडकुल में पार्किग व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित है। उक्त के अतिरिक्त सिडकुल के मुख्य मार्ग एवं चौराहों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाने की स्वीकृति सिडकुल प्रबंधन द्वारा प्रदान की जा चुकी है। शीघ्र ही क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही की जायेगी। उक्त बिन्दु पर समस्त सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई। अध्यक्ष महोदया द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल, पन्तनगर को निर्देशित किया गया कि निविदा आमंत्रित कर उक्त कार्य को शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाए।	सिडकुल के मुख्य मार्ग एवं चौराहों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाने की प्रशासनिक स्वीकृति सिडकुल प्रबंधन द्वारा पूर्व में ही प्रदान की जा चुकी है। वित्तीय स्वीकृति हेतु पत्रावली लेखा अनुभाग को अग्रसारित की जा चकी है। आवश्यक स्वकृति प्राप्त होते ही कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी।

8	सिड़कुल के चारों ओर बाउन्ड्री गेट की सुरक्षा के संबंध मे	क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल पन्तनगर द्वारा अवगत कराया गया कि सिडकुल के आवाजाही वाले गेटों पर सुरक्षा हेतु पीआरडी जवान एवं सिडकुल सुरक्षा कर्मी डयूटी पर तैनात किये गये हैं। इससे लूटपाट की घटनाओं में भी कमी आई है। सिडकुल इन्टरप्रिन्योर वैलफेयर, रूद्रपुर के अध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में भी सिडकुल में कई अनावश्यक गेट बन्द नहीं हुए हैं, जिससे सिडकुल कर्मियों को खतरा बना रहता है। साथ ही सुझाव दिया गया कि इन गेटों को बन्द किया जाये या इन पर भी सुरक्षा कर्मी तैनात किये जाए। अध्यक्ष महोदया द्वारा आर0एम0 सिडकुल, पन्तनगर को निर्देशित किया गया कि वह औद्योगिक प्रतिनिधियों के साथ उक्त विषय पर विचार विमर्श करें एवं आवशयकतानुसार कार्यवाही करें ताकि सिडकुल कर्मियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।	तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुपालन में उपजिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक तथा क्षेत्रीय प्रबंधकी संयुक्त कमेटी द्वारा औ0आ0 की औद्योगिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये अनावश्यक रुप से खुले कतिपय गेटो को बन्द करा दिया गया था । वर्तमान में सुरक्षाकर्मियो द्वारा निरन्तर गस्त की जा रही है।
9	रूद्रपुर से सिडकुल मार्ग पर बस चलाने के संबंध में	क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल, पन्तनगर द्वारा अवगत कराया गया कि सिडकुल पन्तनगर में पूर्व से स्वीकृत बस परमिट के आधार पर निर्धारित रूटों पर सीटी बसों का संचालन पूर्व की भांति हो रहा है, जिसकी दैनिक प्रविष्टी सिडकुल सुरक्षा कर्मियों द्वारा की जाती है। समस्त उपस्थिति सदस्यों द्वारा उक्त पर सहमति व्यक्त की गई। सिडकुल इन्टरप्रिन्योर वैलफेयर सोसायटी सितारगंज के अध्यक्ष द्वारा यह सुझाव दिया गया कि रूद्रपुर से सितारगंज हेतु सीधी बस का संचालन किया जाए ताकि उद्योगों में कार्यरत श्रमिक ससमय कार्य स्थल तक पहूंच सकें। अध्यक्ष महोदया द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल को निर्देश दिए गए कि उक्त व्यवस्था की निरन्तर निगरानी परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए की जाए तथा रूद्रपुर से सितारगंज तक सीधी बस चलाए जाने के संबंध में परिवहन विभाग, रूद्रपुर से वस्तुस्थिति की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर दी कर ली जाए।	सिडकुल पन्तनगर में पूर्व से स्वीकृत बस परमिट के आधार पर निर्धारित रूटों पर सीटी बसों का संचालन पूर्व की भांति हो रहा है, जिसकी दैनिक प्रविष्टी सिडकुल सुरक्षा कर्मियों द्वारा की जाती है।
10	सड़क निर्माण के संबंध में	क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल, पन्तनगर द्वारा अवगत कराया गया कि गत बैठक में सिडकुल इन्टरप्रिन्योर वेलफेयर सोसायटी द्वारा इकाई मै0 शिवाकोम प्रा0 लि0 सैक्टर 09 प्लोट नं0 06 बी के पास सड़क का निर्माण होने का प्रकरण रखा गया। उक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि सड़क निर्माण कार्य के सापेक्ष निविदा आंमत्रित कर धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। कार्यवाही गतिमान है। जिलाधिकरी महोदया द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल को निर्देशित किया कि उक्त कार्य की अद्यतन प्रगति से आगामी अवस्थापना सुविधा की बैठक में उपस्थित होकर अवगत करायेंगे।	कार्यवाही क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, पंतनगर द्वारा किया जाना अपेक्षित है।
11	रिद्धी सिद्धी कम्पनी के पास बाईपास रोड बनाने	क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त बिन्दु के सन्दर्भ में अग्रिम कार्यवाही करते हुए सिडकुल, सिंचाई विभाग एवं पिटकुल के अधिकारियों द्वारा	1) इस मार्ग के निर्माण हेतु आगणन लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर को इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक सं0 588 दिनॉक

	के संबंध मे	संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है। अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर को उक्त कार्य का आगणन सिडकुल को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। जिलाधिकरी महोदया द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल को निर्देशित किया गया कि उक्त बिन्दु के संबंध में कृत कार्यवाही सहित आगामी अवस्थापना सुविधा की बैठक में उपस्थित होंगे।	04/10/2019, पत्रांक सं0 1970 दिनॉक 01/02/2021 एवं वर्तमान में पत्रांक सं0 191/क्षे0प्र0/सिडकुल/2021 दिनॉक 29/06/2021 द्वारा आगणन गठन हेतु पत्राचार किया जाता रहा है। 2)इसी क्रम में प्रस्तावित मार्ग के उपर गुजर रहे 220 के0वी0 एवं 132 के0वी0 एच0टी0 लाई को उपर बडाये जाने हेतु प्राप्त पिटकुल द्वारा प्राप्त आगणन रु0 2.49 लाख का स्वीकृति हेतु सिडकुल प्रबंधन देहरादून को इस कार्यालय के पत्रांक 588/क्षे0प्र/सिडकुल/2019 दिनॉक 04/10/2019 के माध्यम से प्रेषित किया जा चुका है। 3) यह भी स्पष्ट करना है कि उक्त मार्ग के निर्माण हेतु भूमि सिंचाई विभाग एवं मै0 टाटा मोटर्स लि0 के आवासीय परियोजना हेतु शासनादेश किया जा चुका है, जिसका आवंटन की कार्यवाही मुख्यालय स्तर पर गतिमान है। टाटा मोटर्स के आवंटन के उपरान्त ही इस सम्बन्ध में आवाश्यक कार्यवाही किया जाना सम्यक होगा।
12	एल्डिको–सिडकुल औ0पार्क, सितारगंज के फेज–2 में विद्युत आपूर्ति हेतु नए सब–स्टेशन निर्माण के संबंध में।	क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल द्वारा उक्त बिन्दु के सन्दर्भ में अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था यूपीआरएनएन लि0 द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक सहयोग नही किया जा रहा है। इस पर उपस्थित सदस्यों द्वारा रोष व्यक्त किया गया। अध्यक्ष महोदया द्वारा उक्त पर कड़ा रोष व्यक्त किया गया एवं सदस्य सचिव को निर्देशित किया कि आगामी अवस्थापना सुविधा की बैठक में यूपीआरएनएन लि0 से संबंधित अधिकारियों को आमंत्रित किया जाये।	आगामी बैठक में प्रतिभाग करने हेतु यूपीआरएनएन लि0 से संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जा चुका है।
13	औद्योगिक आस्थान बाजपुर–1 (पिपलिया , सुल्तानपुर पट्टी) की समस्याओं के संबंध में।	क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, काशीपुर द्वारा बैठक में अवगत कराया गया है कि औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल, बाजपुर 01 एवं 02 मे स्ट्रीट लाईट लगाये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर द्वारा अपने पत्रांक सं0 2073 दिनांक 10.12.2020 के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उक्त स्वीकृति को सिडकुल मुख्यालय भेज दिया गया है, जहां पर कार्यवाही गतिमान है। अध्यक्ष महोदया द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, काशीपुर को निर्देशित किया गया कि सिडकुल मुख्यालय से यथा शीघ्र स्वीकृति प्राप्त कर कार्य आरम्भ करा दिया जाये ताकि सिडकुल श्रमिकों को रात्रि में आने–जाने में समस्या का सामना न करना पड़े।	कार्यवाही क्षेत्रीय प्रबंधक, काशीपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्र सं0 60 दिनांक 01.07.201 के द्वारा अवगत कराया गया है कि सिडकुल कार्यालय देहरादून से ज्ञात हुआ है कि क्षेत्र हेतु 63 नई एल0ई0डी लाइटों का क्रय किया जाना है तथा मुख्यालय स्तर पर टेन्डर करने की प्रक्रिया गतिमान है व शीघ्र ही टेन्डर के उपरान्त बाजपुर में लाईटों को स्थापित कर दिया जायेगा।
14	सिडकुल में खराब सड़कों, नालियों एवं झाड़ियों की सफाई के संबंध में	सिडकुल इन्टरप्रिनेर वैलफेयर सोसायटी रूद्रपुर के अध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि सिडकुल में कुछ सड़कें जैसे महालक्ष्मी से ग्रीनप्लाई बाउन्ड्रीवाल तक, सैक्टर–11 की सर्विस लेन जो कि पानी की टंकी से अनुसुइया ऑटो तक है, कि सड़क बहुत खराब	लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यवाही पूर्ण कर लिया गया है। विन्दु को विलोपित किया जाना सम्यक होगा।

		है और आए दिन इन जगहों पर एक्सीडेंट होते हैं। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि सिडकुल क्षेत्र में झाड़ियों की कटाई, नाली की सफाई एवं सड़कों की सफाई का कार्य सिडकुल की तरफ से बेहद धीमी गति से किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदया द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल को निर्देशित किया कि उक्त बिन्दु को भी सिडकुल मेन्टेनेन्स कमेटी की बैठक में भी सम्मिलित करें एवं नियमानुसार कार्यवाही कर समस्या का समाधान करें।	
15	राष्ट्रीय राजमार्ग 74 के सम्बन्ध में	उक्त बिन्दु पर बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों/उद्यमियों द्वारा कड़ा रोष व्यक्त किया गया एवं अवगत कराया गया कि एन0एच0ए0आई0 रूद्रपुर द्वारा समय से कार्य पूर्ण न करने से सड़कों पर जाम की स्थिति बन रही है। इसी सन्दर्भ में केजीसीसीआई के अध्यक्ष श्री अशोक बंसल ने सदन को अवगत कराया कि जनपद के मुख्य मार्गों में कार्य पूर्ण न होने एवं अधूरा कार्य होने से आये दिन जाम लगता रहता है, जिससे दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है। साथ ही निम्न सुझावों से भी सदन को अवगत कराया गया – 1– बगवाड़ा के निकट पुलिया निर्माण होना अत्यन्त आवश्यक है। 2– जिलाधिकारी कार्यालय से एस0एस0पी0 कार्यालय तक सर्विस लेन बनाई जाए। 3– एलाइन्स कॉलोनी रूद्रपुर से एसपी सॉल्वेन्ट के सामने सड़क ही खराब स्थिति एवं अव्यवस्था के कारण जाम लगता है, जिसको तत्काल सही कराया जाना चाहिये। 4– एस0पी0 सोल्वेन्ट लिमिटेड से तीन पानी तक एन0एच0 74 के अधूरे पड़े कार्य को पूर्ण कराया जाये। 5– रुद्रपुर नैनीताल एन एच 87 पर नो एंट्री को समाप्त किए जाये। अध्यक्ष महोदया द्वारा एनएचएआई के सहायक प्रबन्धक को निर्देशित किया कि जनपद में जहां–जहां पर एन0 एच0 से संबंधित कार्य लम्बित हैं उनकी सूची तैयार करें एवं आगामी अवस्थापना सुविधा की बैठक में समस्त सूचना सहित उपस्थित हों। साथ ही सदस्य सचिव को निर्देशित किया कि आगामी बैठक में एन0एच0ए0आई0 कार्यालय, मुरादाबाद से आर0ओ0 को भी उक्त बैठक में उपस्थिति होने हेतु अवगत करायें। जिलाधिकारी महोदया द्वारा बैठक में उपस्थिति राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नजीबाबाद व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, रूद्रपुर के परियोजना प्रबन्धक को आगामी अवस्थापना विकास संबंधी बैठक में अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाए।	राष्ट्रीय राजमार्ग–74 के सम्बन्ध में क्र0सं0 1,3,4 के सम्बन्ध में अगवत कराना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 74 में अवशेष कार्यो को पूर्ण करने हेतु भा0रा0रा0प्रा0 एवं कार्यदायी संस्था के मध्य दिनॉक 02.06.2021 को सैटलमैन्ट अग्रीमैन्ट हस्ताक्षरित हो चुका है, जिसके अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा सर्म्पण अवशेष कार्य माह फरवरी, 2022 तक पूर्ण किया जाना है। बिन्दु संख्या 2– राष्ट्रीय राजमार्ग 87 पैकेज 2 में निकट सोनिया होटल से जिला चिकित्सालय तक सर्विस रोड का निर्माण कार्य प्रस्तावित है किन्तु बाधामुक्त भूमि न मिल पाने के कारण उक्त सर्विस रोड का निर्माण कार्य बाधित है। सम्पूर्ण भूमि उपलब्ध होते ही सर्विस रोड का निर्माण कार्य कराया जायेगा। यह भी अवगत कराना है कि भा0रा0रा0प्रा0 मुख्यालय के सदस्य (परियोजना) द्वारा किये गये स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त दिये गये निर्देशों के अनुपालन में बाधामुक्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण वर्तमान मार्ग का मरम्मत ओवर–ले का कार्य कराया जाना है ताकि यातायात का सुचारू रूप से संचालन हो सके। बिन्दु संख्या 5– रूद्रपुर–नैनीताल एन0एच0 87 पर नो एन्ट्री को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। उक्त बिन्दु भा0रा0रा0प्रा0 से सम्बन्धित नही है।

16	रूद्रपुर नगर निगम क्षेत्र से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74 पर यातायात में आ रही समस्या के संबंध	गत बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, पन्तनगर एवं परियोजना प्रबन्धक, एनएचएआई, रूद्रपुर को निर्देश दिये गये थे कि इस सन्दर्भ में प्रथक से बैठक का आयोजन किया जाये। इस पर क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, पन्तनगर द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त बैठक का आयोजन प्रतीक्षित है।	बिन्धु संख्या–18 के क्रम में अवगत कराना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग –74 में अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने हेतु भा.रा.रा.प्रा. एंव कार्यदायी संस्था के मध्य दिनांक –02.06.2021 को ‟मजजसमउमदज ।हतममउमदज हस्ताक्षरित हो चुका है, जिसके अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा सम्पर्ण अवशेष कार्य फरवरी 2022 तक पूर्ण किया जाना है।
17	Foot Over Bridge के संबंध में–	क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल अवगत द्वारा कराया गया है कि सिडकुल पंतनगर के मुख्य चौराहों पर फूट ओवर ब्रिज बनवाने हेतु एन0एच0ए0आई0, रूद्रपुर से पत्राचार किया जा चुका है। एन0एच0ए0आई0 से आवश्यक अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित होगा। अध्यक्ष महोदया ने निर्देश दिये कि उक्त प्रकरण को अवस्थापना सुविधा की बैठक में रखा जाये।	प्रकरण अवस्थापना बैठक हेतु प्रस्तावित।
18	सितारगंज से एल्डिको सिडकुल औद्योगिक पार्क तक सड़क की मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराए जाने के संबंध में।	अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण खण्ड, खटीमा द्वारा बैठक में उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराया कि उक्त सड़क निर्माण एवं चौड़ीकरा हेतु आंकलन तैयार कर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वकृति हेतु शासन को पुनः प्रेषित किया जा रहा है। इस पर सिडकुल इन्टरप्रिन्योर वैलफेयर सोसायटी, सितारगंज के अध्यक्ष द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि उक्त कार्य विगत कई वर्षों से लम्बित है। गत उद्योग मित्र बैठक में भी अवगत कराया गया था कि आगणन शासन को प्रेषित किया गया है एवं इस बैठक में यही बात पुनः बताई जा रही है। जिलाधिकारी महोदया, द्वारा उक्त प्रकरण पर अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, खटीमा को निर्देशित किया कि उक्त हेतु शासन को अनुरोध पत्र प्रेषित करें एवं जल्द से जल्द शासन से स्वीकृति प्रदान करायें। साथ ही सदस्य सचिव को निर्देशित किया कि उक्त प्रकरण को अवस्थापना सुविधा की बैठक में भी सम्मिलित किया जाये।	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, खटीमा अपने पत्र सं0 822 दिनांक 01.07.2021 उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है, कि सितारगंज से एल्डिको सिडकुल आद्यौगिक पार्क तक सड़क की मरम्मत (वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र सितारगंज के अन्तर्गत रामनगर–कालाढुंगी–चोरगलिया–सितारगंज–बिज्टी राज्य मार्ग संख्या–41 सिडकुल–सितारगंज प्रभाग का सुदृढीकरण कार्य किमी0 101 से 105 तक विस्तृत आगणन) के कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 214/।।।(2)/20–68 (एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनंक 11–02–2021 के द्वारा 4.60 किमी0 लम्बाई हेतु प्राप्त हुई है। जिसके अनुपालन में अनुबंध संख्या 48/एस0ई0/2020–21 दिनांक 29–05–2021, श्री कवलजीत सिंह ठेकेदार, सी0–59 आवास विकास, यस बैक के पीछे रूद्रपुर उधम सिंह नगर के नाम गठित किया गया है। जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 29–05–2021 एवं कार्य सम्पाति की तिथि 28–02–2022 है। वर्तमान में उक्त प्रभाग में बी0एम0 का कार्य 4.600 किमी0 एवं डी0बी0एम0 का कार्य 2.500 किमी0 में पूर्ण है, अन्य कार्य प्रगति में है।

			उपरोक्त कार्य अनुबंध के अनुसार कार्य सम्पाति की तिथि दिनांक 28–02–2022 से पूर्व पूर्ण करा लिया जायेगा। वर्तमान में मार्ग की सतह यातायात हेतु अनुकूल है।
19	काशीपुर में बहल्ला नदी व सुल्तानपुर पट्टी में नैया नाले पर स्वीकृत पुलों के निमार्ण के सम्बन्ध मं	महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र द्वारा अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी के पत्र संख्या 915/9 एमजी दिनॉक 15.09.2020 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय मार्ग सं0 74 पर 163 कि0मी बहले नदी एवं 173 कि0मी0 नैया नदी पर पुलों के निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं दायित्व शेष है। इस पर उपस्थित सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई।	अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी द्वारा अपने पत्र 824 दिनांक 22.06..2021 द्वारा अवगत कराया कि उक्त पुलों का कार्य माह फरवरी 2020 में पूर्ण किया जा चुका है साथ ही समस्त दायित्वों का भुगतान भी किया जा चुका है।
20	महुवाखेड़ागंज रेलवे क्रासिंग से खाईखेड़ा तक रोड़ की दयनीय स्थिति के संबंध मे	महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग काशीपुर द्वारा अपने पत्र 1283 दिनांक 22.8.2020 के माध्यम से अवगत कराया है कि उक्त मार्ग लोक निर्माण विभाग के अभिलेखों में मुकुंदपुर पैगा गुलाबो मार्ग के नाम से दर्ज है मार्ग की कुल लंबाई 25.75 किलोमीटर है। उक्त मार्ग शासनादेश सं0 428 दिनांक 03.07.21020 द्वारा मुख्य जिला मार्ग से राज्य मार्ग सं 105 में परिवर्तन हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त मार्ग के किमी 1 से 18 तक प्रभाग खंड के अंतर्गत है शेष किलोमीटर 19 से 25 तक भाग रा0मा0 खंड द्वारा महाराणा प्रताप चौक पर निर्माणाधीन आरओबी के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होने से ट्रैफिक डायवर्जन हेतु इस मार्ग के किलोमीटर 19 से 25 तक भाग रा0मा0 खंड हल्द्वानी के अधीन है मार्ग का उक्त प्रभाग आंशिक रूप से ठीक स्थिति में है उक्त मार्ग का पुनः निर्माण वर्ष 2010 में एडीबी खंड नैनीताल द्वारा किया गया था। उक्त मार्ग किलोमीटर 1 से 10 तक ठीक अवस्था में है किलोमीटर 11 महुआ खेड़ा रेलवे क्रॉसिंग से किलोमीटर 18.50 खाईखेड़ा तक पूर्णः तरह क्षतिग्रस्त है मार्ग के पुनः निर्माण का आगणन पूर्व में मुख्य अभियंता हल्द्वानी के पत्र सं0 4436 दिनांक 22 जुलाई 2016 एवं पत्र सं0 3114 दिनांक 15.06.2017 द्वारा स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया गया था परंतु स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पाई। लोक निर्माण विभाग काशीपुर द्वारा समय–समय पर लगातार विभागीय उपलब्ध संसाधनों द्वारा जीएसबी डब्ल्यूबीएम ब्रिक सोलिंग द्वारा यातायात आवागमन हेतु कच्चे पैच मरम्मत का कार्य संपादित कराया जा रहा है जो कि पर्याप्त नहीं। विभाग को उक्त कार्य हेतु बजट की प्राप्ति नहीं हुई है। बजट प्राप्त होने पर कार्य सम्पादित किया जायेगा। अध्यक्ष महोदया द्वारा अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर को निर्देशित किया कि इस संबंध में शासन से पुनः पत्राचार कर कार्य में प्रगति लाए।	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग काशीपुर द्वारा अपने पत्र 1083, दिनांक 25,06,2021 से अवगत कराया गया कि उक्त मार्ग लो0नि0वि के अभिलेखों में मुकंदपुर पैगा ढकिया गुलाबों मार्ग के नाम से दर्ज है मार्ग की कुल लम्बाई 25.75 किलोमीटर है। उक्त मार्ग शासनादेश सं0–428 दिनांक 03.07.2020 द्वारा मुख्य जिला मार्ग से राज्य मार्ग सं0–105 में परिवर्तन हुआ है। उक्त मार्ग के किमी0 1.00 से 18. 00 तक प्रभाग खण्ड के अन्तर्गत है। शेष किलोमीटर 19 से 25 महाराणा प्रताप चौक पर निर्माणधीन आर0ओ0 बी के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होने से ट्रैफिक डायवर्जन हेतु रा0मा0 खण्ड हाल्द्वानी को हस्तगत है। मार्ग का उक्त प्रभाग ठीक स्थिति में है। उक्त मार्ग का पुन : निर्माण वर्ष 2010 में ए0डी0 बी0 खण्ड नैनीताल द्वारा किया गया था । उक्त मार्ग किमी0 1से 10 तक यातायात हेतु ठीक अवस्था में है जिसमे केन्द्रीय विशेष सहायता योजना के अन्तर्गत मार्ग 2021 में बी0सी0 का कार्य सम्पादित करवाया गया है मार्ग के किमी0 11 महुआखेड़ा रेलवे कॉसिग से किमी0 18.50 खाईखेड़ा तक पूर्ण : तरह क्षतिग्रस्त है। मार्ग के पुन : निर्माण का आगणन पूर्व में मुख्य अभियन्ता हल्द्वानी के पत्र सं0 –4436 दिनांक 22 जुलाई 2016 एंव पत्र सं0 –3114 दिनांक 15.06.2017 द्वारा स्वीकृत हेतु शासन को प्रेषित किया गया था परन्तु स्वीकृत प्राप्त नहीं हो पायी। मार्ग के चैनेज 10.000 से 13.700 (महुआखेड़ा रेलवे क्रांसिग से वीरपुर) तक किमी0 2.700 का आगणन स्वीकृति हेतु मुख्य अभियन्ता, लो0 नि0 वि0, हल्द्वानी के पत्रांक– 2279/01 याता–हल्द्वानी /2019 दिनांक 11.06.2021 द्वारा शासन को पेषित है जिसकी

			स्वीकृति की प्रकिया गतिमान है। उक्त मार्ग के किमी0 16 से 18.50 (कटैया से मढैया) तक प्रभाग की स्वीकृति प्राप्त है जिसकी निविदा आमंत्रित कर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही गतिमान है। मार्ग के इस प्रभाग में शीध्रातिशीध्र कार्य प्रारम्भ करवा दिया जायेगा। उक्त सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि मार्ग मे यातायात घनत्व काफी अधिक होने के कारण मार्ग के पुन; निर्माण की लागत काफी अधिक आने के कारण राज्य के सीमित वित्तीय संशाधनों होने से सम्पूर्ण मार्ग के पुन; निर्माण की स्वीकृत एक मुश्त प्राप्त नहीं हो पा रही है । मार्ग के शेष क्षतिग्रस्त प्रभाग (किमी0 13.400 से किमी 16.00 तक) का यातायात के सुचारु आवागमन हेतु लो0नि0वि0 काशीपुर द्वारा समय–समय पर विभागीय उपलब्ध संशाधनो द्वारा ॅण्ठण्ड द्वारा गडढे भरान/ ठतपबा ॅवसपदह का कार्य करवाया जाता रहा है। उक्त भाग की स्वीकृति हेतु प्रयास गतिमान है स्वीकृति उपरान्त ही उक्त भाग का पुन; निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।
21	ई0एस0आई0 अस्पताल से आई0आई0ई0 के समस्त सेक्टर के लिए कनेक्टिंग रोड के संबंध में	के0जी0सी0सी0आई0 रूद्रपुर एवं सिडकुल इन्टरप्रेन्योर वेलफेयर सोसायटी द्वारा प्रकरण रखा गया कि सिडकुल के उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के इलाज हेतु ईएसआई हॉस्पिटल में आने–जाने की सुगमता हेतु ई0एस0आई0सी0 अस्ताल को सिडकुल मोटर मार्ग से जोड़ा जाये। साथ ही कुछ सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि अस्पताल हेतु नदी पर ब्रिज भी बनाया जा सकता है, जिससे मुख्य सड़क से अस्पताल की दूरी कम हो जायेगी। इस पर अध्यक्ष महोदया द्वारा अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, पन्तनगर को निर्देशित किया कि उक्त प्रस्तावित मार्ग एवं ब्रिज के संबंध में संयुक्त सर्वे कर आगामी अवस्थापना सुविधा की बैठक में वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे साथ सदस्य सचिव को निर्देशित किया कि ईएसआईसी एवं सी0पी0डब्ल्यू0डी0 से संबंधित अधिकारी को उक्त बैठक में प्रतिभाग करने हेतु अवगत करायें।	ईएसआई हॉस्पिटल में आने–जाने की सुगमता हेतु ई0एस0आई0सी0 अस्ताल को सिडकुल मोटर मार्ग से जोडने एवं कल्याणी नदी के उपर पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 416/क्षे0प्र0/सिडकुल/2019 दिनॉक 16/08/2019 एवं पत्रांक 190/क्षे0प्र0/सिडकुल/2021 दिनॉक 29/06/2021 द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधक, ईएस0आई0सी0 चिकित्सालय रुद्रपुर को पुलिया के स्थल चयन हेतु पत्राचार किया गया तथा जिला स्तरीय उद्योग मित्र की बैठक में दिये गये निर्देशो के क्रम में 22/12/2020 को लो0नि0वि0 अभियन्ताओं एवं सिडकुल तकलीकी स्टाफ द्वारा संयक्त निरीक्षण किया गया, जिसमे ई0एस0आई0सी0 अस्ताल के स्टाफ द्वारा पुलिया चयन स्थल उपलब्ध नही करवाया जा सका।

22	मेट्रोपोलिस मॉल के पास हाईवे पर कट बनाने के संबंध में	सिडकुल इन्टरप्रिनेर वैलफेयर सोसायटी रूद्रपुर के अध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि औद्योगिक क्षेत्र पंतनगर में कार्यरत अधिकतर पदाधिकारी/कर्मचारी मैट्रोपोलिस सिटी एवं ओमैक्स रिवियेरा से राष्ट्रीय राजमार्ग होते हुये आते जाते हैं । मैट्रोपोलिस मॉल के पास हाईवे पर कट नहीं होने की वजह लगभग एक किलोमीटर घूमकर आना जाना पड़ता है । जिसके कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिलाधिकारी महोदया द्वारा उक्त बिन्दु को अवस्थापना सुविधा हेतु आयोजित बैठक में सम्मिलित करने एवं अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभग, रूद्रपुर को उक्त बैठक में आमंत्रित करने हेतु महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र को निर्देशित किया गया।	कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।
23	यात्री शेड तथा पेयजल के सम्बन्ध मे	सिडकुल इन्टप्रिन्योर वेलफेयर सोसायटी, रूद्रपुर द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि वोल्टास कम्पनी के पास वाली यात्री शेड का कार्य आतिथि तक पूर्ण नहीं हुआ है एवं सिडकुल में 10 हैंडपम्प लगाये जाने थे, जिसमें से मात्र 03 हैंडपम्प अभी तक लगाये गये हैं। अध्यक्ष महोदया द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, पन्तनगर को निर्देशित किया कि अधूरे शेड निर्माण को 30 दिन के अन्दर पूर्ण कराया जाये एवं जिस–जिस स्थान पर हैण्डपम्प की आवश्यकता है केवल उन्हीं स्थान पर लगवाये जायें।	आवश्यकतानुसार सिडकुल के मुख्य स्थानो/चौराहों में जलापूर्ति की व्यवस्था की जा चुकी है। विन्दु विलोपित किया जाना सम्यक होगा।
24	कूड़े के निस्तारण के संबंध में	सिडकुल इन्टरप्रिनेर वैलफेयर सोसायटी रूद्रपुर के अध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि सिडकुल पन्तनगर में उद्योगों से निकलने वाले कूड़े के निस्तारण की कोई व्यवस्था सिडकुल द्वारा नहीं की गयी है। पूर्व में कुछ दिनों के लिए इसकी व्यवस्था सिडकुल द्वारा की गयी थी परन्तु किन्हीं अपरिहार्य कारणों से उक्त व्यवस्था को स्थगित कर दिया गया है। इस पर नगर आयुक्त, रूद्रपुर द्वारा अवगत कराया गया नगर निगम के सफाई कर्मचारी सिडकुल से सूखा व गीला कूड़ा अलग–अलग उठा लेंगे जिस पर लगे चार्ज का व्यय सिडकुल को देना होगा। जिलाधिकारी महोदया द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, पन्तनगर को निर्देशित किया गया कि वे सिडकुल मेन्टेनेन्स कमेटी की बैठक का आयोजन अपर जिलाधिकारी नजूल/प्रशासन की अध्यक्षता में करायेंगे एवं उक्त बैठक में कूड़े के निस्तारण के संबंध में भी चर्चा कर समाधान निकालकर अवगत करायेंगे।	नगर निगम – उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 275/जि.उ.के./उद्योग मित्र/2021–22 दिनांक 19.06.2021 के क्रम में सादर अवगत कराना है कि नगर निगम, रूद्रपुर द्वारा सिडकुल पन्तनगर के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु दिनांक 30.03.2021 को अनुबन्ध गठित किया गया है (प्रति संलग्न), जिसके पश्चात अप्रैल 2021 से नगर निगम , रूद्रपुर के वाहनों द्वारा सिडकुल पन्तनगर से कूड़ा एकत्रीकरण किया जा रहा है।

25	राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्ट्रीट लाईट के संबंध में –	सिडकुल इन्टप्रिन्योर वेलफेयर सोसायटी, रूद्रपुर के अध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर अशोक लीलैन्ड चौराहे से बाजार तक एक भी लाईट नहीं जलती है जिसके कारण दुर्घटना होने की सम्भावना बनी रहती है। उक्त लाइटों की मरम्मत कराने अथवा नई लाइट लगवायें जाने हेतु अनुरोध किया गया। जिलाधिकारी महोदया द्वारा उक्त बिन्दु को अवस्थापना सुविधा की बैठक में सम्मिलित करने एवं अधिशासी अभियन्ता, यूपीसीएल, रूद्रपुर हेतु महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र को निर्देशित किया गया।	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्र सं0 2494 दिनांक 24.06.2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि विद्युत विभाग द्वारा स्ट्रीट लाइटे नहीं लगाइ जाती है।
26	औद्योगिक गतिविधियों हेतु मैथनोल लाइसेन्स के संबंध में	उक्त बिन्दु पर केजीसीसीआई अध्यक्ष द्वारा बैठक में मांग उठाई गई कि मैथनोल लाइसेन्स प्राप्त होने में काफी समय और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः इस लाइसेन्स को एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाये ताकि ससमय लाइसेन्स प्राप्त किए जा सके। अध्यक्ष महोदया द्वारा बैठक में उपस्थित एकल खिड़की व्यवस्था की टीम को निर्देशित किया गया कि शीघ्र ही उक्त लासेन्स को एकल खिड़की पोर्टल पर जोड़ दिया जाये ताकि उद्यमियों को ससमय लाइसेन्स प्राप्त हो सके।	कार्यवाही आबकारी विभाग, ऊ0सिं0 नगर द्वारा किया जाना प्रस्तावित।
27	अन्य राज्य से लाई गई यूके लिपटिस लकड़ी पर कठिनाइयों के सम्बन्ध में	उक्त बिन्दु पर केजीसीसीआई अध्यक्ष द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि अन्य राज्य से लाई गई यूके लिपलिस की लकड़ी पर वन विभाग की चौकी द्वारा आपत्ति दिखाई जाती है एवं जिस राज्य से उक्त लकड़ी लाई जाती है, वहां के वन विभाग कार्यालय से सत्यापित रशीद की मांग की जाती है। जबकि उत्तराखण्ड में कही से भी इस लकड़ी को लाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अतः मांग की गई कि उक्त व्यवस्था को भी समाप्त किया जाना चाहिए। ताकि उद्यमियों को व्यापार करने में सुगमता हो। अध्यक्ष महोदया द्वारा वन विभाग के प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि उक्त प्रकरण पर विस्तृत आख्या सदस्य सचिव को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।	कार्यवाही – प्रभागीय वनाधिकारी, ऊ0सिं0 नगर द्वारा किया जाना प्रस्तावित।
केजीसीसीआई द्वारा उठाये गये बिन्दु			
28	रेल यातायात –	के0जी0जी0सी0आई0, रूद्रपुर के अध्यक्ष द्वारा बैठक में रेल यातायात एवं वायु सेवा को औद्योगिक विकास हेतु महत्वूपर्ण बताते हुए कुछ बिन्दु अध्यक्ष महोदया के समक्ष रखे गए जो निम्नानुसार है – 1– काठगोदाम से जम्मू तवी के मध्य संचालित गरीब रथ ट्रेन का प्रतिदिन संचालन किया जाना चाहिये। 2– काठगोदाम से मुंबई चेन्नई एवं अमृतसर के लिए सूपर फास्ट, एक्सप्रेस ट्रेन सुविधा का संचालन किया जाना चाहिए।	

		3– काठगोदाम से दिल्ली के मध्य नई एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया जाना चाहिए। 4– रूद्रपुर एवं हल्दी रेलवे स्टेशनों पर गुड्स शेड की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिस कारण प्रतिकूल मौसम में तैयार एवं कच्चा माल खराब हो जाता है जिससे उद्योगों को अत्यधिक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इस हेतु पर्याप्त गुड्स शेड की व्यवस्था सुनिश्चित करावाई जाए। 5– पंतनगर एयरपोर्ट से दिल्ली एवं देहरादून के लिए वायु सेवा का नियमित संचालन किया जाना चाहिए ताकि औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधियों का कम्पनियों के कार्यों से देश व विभिन्न शहरों व विदेशों में आना–जाना एवं अन्य राज्यों के उद्यमियों की जनपद में आवाजाही सुगम हो सके। जिलाधिकारी महोदया द्वारा उक्त बिन्दु को अवस्थापना सुविधा हेतु आयोजित बैठक में सम्मिलित करने हेतु निर्देषित किया गया एवं महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र को निर्देषित किया कि उक्त बैठक में उपरोक्त बिन्दुओं से संबंधित विभागों के अधिकारियों आमंत्रित किया जाए।	
29	मैथेनौल के लाईसेंस की वैद्यता 5 साल के लिये किये जाने के सम्बन्ध में (नये बिन्दु)	के0जी0सी0सी0ई0 द्वारा अपने पत्र दिनॉक 19.06.2021 के द्वारा अवगत कराया गया है कि मैथनॉल लाईसेंस की वैद्यता 1 वर्ष के लिये होती है । 1 वर्ष बाद पुनः लाईसेन्स जारी कराने में उद्यमियों को विभिन्न परेशानियोंका सामना करना पडता है। तथा उनके द्वारा मैथेनॉल लाईसेन्स को 1 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष बढाये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।	चर्चा की जानी हैं
30	रूद्रपुर –नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87 पर लागू नो एन्ट्री को समाप्त किये जाने के सम्बध में (नये बिन्दु)	रूद्रपुर–नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87 पर रूद्रपुर में दिन के समय नो एन्ट्री लागू होने के कारण सिडकुल के कार्यरत औद्योगिक इकाईयों का कच्चा एवं तैयार माल समय से नही पहुच पाता है। नो एन्ट्री लागू होने के समय पर ही बहुत से वाहन शहर में प्रवेश में प्रवेश कर पाते है लेकिन औद्योगिक इकाईयों में न पहुॅच पाने के कारण वाहनों का एक दिन का अधिक भाडा लग जाता है जिससे वस्तुओं की उत्पादन लागत भी बढ जाती है। तथा उनके द्वारा नो एन्ट्री को समाप्त कि व्यवस्था किये जाने जाने का अनुरोध कियागया है।	चर्चा की जानी हैं
31	केन्द्र सरकार द्वारा जारी औद्योगिक विकास योजना 2017 में समयावृद्धि किये जाने के सम्बन्ध मे।	औद्योगिक विकास एवं संवर्द्धन विभाग द्वारा दिनॉक 23 अप्रैल 2018 को उत्तराखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक विभाग हेतु औद्योगिक विकास योजना 2017 लागू की गई हैं जिसमें पंजीकरण से 18 माह की भीतर उत्पादन में आने वाली इकाई को ही लाभ दिया जाना है। कोविड–19 के चलते कई इकाईयॉ अपना उत्पादन 18 माह के भीतर शुरू नही कर पाई है तथा उनके द्वारा 18 माह की समय सीमा मे 1 वर्ष की अतिरिक्त वृद्धि कराने का अनुरोध किया गया है।	चर्चा की जानी हैं

32	नॉन अटेनमैन्ट सिटी काशीपुर के सम्बन्ध में चर्चा	नॉन अटेनमैन्ट सिटी काशीपुर के वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदया अध्यक्षता में दिनॉक 29.6.2021 को गठित कमेटी के बैठक की गई थी तथा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्लान में कार्यबिन्दुओं के क्रियान्वयन में काशीपुर स्थित औद्योगिक इकाईयों के सहयोग लिया जाना आवश्यकत है। इस हेतु उद्योग बन्दुओं से वृक्षारोपण क्षति के सम्बन्ध में चर्चा की जानी हैं	चर्चा की जानी है।
		एसईडब्ल्यूएस सितारगंज से संबंधित बिन्	
33	सिडकुल सितागंज से सम्बन्धित बिन्दु	1 .सिडकुल सितारगंज क्षेत्र से चोरगलिया की सड़क अत्यंत आप और जर्जर हो चुकी हैं इस मार्ग और वाहनों आवागमन में काफी परेसानी का सामना करना पड़रहा है और दुर्घटनाओं की प्रबल संभावना बनी रहती है 2. सिडकुल सितारगंज फेस टू में सिविल लाइन का कार्य अभी पूर्ण नहीं हो सका है जिस कारण से सिविर की निकसी प्रकार से नहीं हो पा रही है 3. मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी की समय सीमा बढ़ाई जाने हेतु. वर्तमान में कोविड.19 की दूसरी लहर ने पूरे देश को प्रभावित किया है बहुत सी इकाइयां जो अपने प्लांट को स्थापित कर रही हैं उनको बहुत प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भारत सरकार द्वारा देश के इंजीनियरों व तकनीकी लोगो को वीजा नहीं दिया जा रहा है तथा कुछ देश कोविड.19 की वजह से भी देश में दक्ष इंजीनियरों को नहीं रहे हैं जिस कारण प्लांट में मशीनरी की स्थापना नहीं हो पा रही है अतः आपसे 30 सितंबर 2022 कर दिया जाए	चर्चा की जानी है।
34	औद्योगिक आस्थानों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगाने हेतु विकास प्राधिकरण द्वारा नक्षा पास कराये जाने से छूट के सम्बन्ध में।	महोदय, आपको अवगत कराना है कि ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हेतु विकास प्राधिकरण से नक्षा पास कराने की 5 मीटर से अधिक चौड़ाई की सड़कों के निर्माण की षर्त औद्योगीकरण में बाधक बन रही है। इससे राज्य के ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास गतिशील नहीं हो पा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोड की पूर्व से ही चौड़ाई 5 मीटर से अधिक नही होती है और उन सड़कों पर उद्योग पहले से ही स्थापित हैं। आपसे अनुरोध है कि राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हेतु विकास प्राधिकरण से नक्षा पास कराने की बाध्यता को समाप्त किया जाना चाहिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में	

		सड़क की अधिकतम चौड़ाई का मानक 5 मीटर तक ही निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कृशि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को स्थापित करने के लिये नक्षे की बाध्यता को समाप्त किया जाना चाहिये।	
35	मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेण्ट पॉलिसी, 2015 के अन्तर्गत वाणिज्यिक उत्पादन (कॉमर्षियल प्रोडक्षन) षुरु करने की समय सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	महोदय, आपको अवगत कराना है कि विभिन्न प्रकियाएं पूर्ण होने के उपरान्त भूमि का आवंटन होने पर किसी भी उद्योग को स्थापित करने में कम से कम 3 वर्श का समय लग जाता है। उपरोक्त के अतिरिक्त विगत वर्श से कोविड–19 के संक्रमण के मद्देनजर उत्तराखण्ड ही नहीं अपितु सम्पूर्ण देष में लॉकडाउन लागू होने के कारण श्रमिकों के अभाव में उद्योगों की स्थापना के कार्य अत्यन्त धीमी रफ्तार से ही हो पा रहे हैं जिसके कारण बहुत से उद्योग अभी तक अपना वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ नहीं कर पाये हैं। हालाँकि षासन द्वारा इसकी अवधि 30 सितम्बर, 2021 तक बढ़ा दी गयी थी लेकिन कोविड संक्रमण कर रोकथाम हेतु लागू देषव्यापी लॉकडाउन से समस्त गतिविधियाँ बन्द होने के कारण एक साल की अवधि बढ़ाए जाने से भी उद्योगों को कोई लाभ नहीं मिल पाया। अतः आपसे अनुरोध है कि मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेण्ट पॉलिसी, 2015 के प्रोत्साहनों के आकर्शण से राज्य में ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित हों, इसके लिए पॉलिसी में वर्णित कॉमर्षियल प्रोडक्षन प्रारम्भ करने की समय सीमा 31 मार्च, 2025 तक बढ़ाई जानी चाहिए।	
36	मेगा टैक्सटाईल पार्क पॉलिसी, 2014 के अन्तर्गत विद्यमान उद्योगों के विस्तारीकरण के सम्बन्ध में।	महोदय, आपको अवगत कराना है कि षासन द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में टैक्सटाईल नीति को देष के अन्य राज्यों की सफल नीति के समकक्ष बनाए जाने एवं उसके प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किए जाने हेतु दिनाँक 11 दिसम्बर, 2014 को 'मेगा टैक्सटाईल पार्क पॉलिसी, 2014' प्रख्यापित की गयी थी। उपरोक्त पॉलिसी के अन्तर्गत रुपए 75.00 करोड़ से अधिक पूँजी निवेष की नई परियोजनाएं मेगा टैक्सटाईल पार्क योजना कहलायेंगी। इस	

		नीति के तहत नयी योजनाएं एवं विद्यमान टैक्सटाईल उद्योग विस्तारीकरण के तहत रुपए 75.00 करोड़ से अधिक का पूँजी निवेष करने वाली इकाईयाँ भी आच्छादित होंगी अर्थात् 'मेगा टैक्सटाईल पार्क पॉलिसी, 2014' के अन्तर्गत विस्तारीकरण करने वाली इकाईयों को नई औद्योगिक इकाईयों की तरह 75.00 करोड़ रुपए से अधिक के पूँजी निवेष पर ही पॉलिसी का लाभ दिया जाएगा। महोदय, आपको अवगत कराना है कि आन्ध्र प्रदेष, महाराश्ट्र एवं तेलंगाना आदि राज्यों में प्रख्यापित पॉलिसियों में विस्तारीकरण हेतु मूल पूँजी निवेष का 25 प्रतिषत ही निर्धारित किया गया है जिससे उद्यमी उन राज्यों में अपना पूँजी निवेष करने में रुचि ले रहे हैं। इस सम्बन्ध में हमारा सुझाव है कि 'मेगा टैक्सटाईल पार्क पॉलिसी, 2014' के अन्तर्गत विस्तारीकरण करने वाली इकाईयों हेतु पूँजी निवेष की सीमा नई इकाईयों के समतुल्य रखना व्यवहारिक नहीं है। इसके कारण राज्य में पूँजी निवेष भी आकर्शित नहीं हो पा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि आन्ध्र प्रदेष, महाराश्ट्र एवं तेलंगाना आदि राज्यों की भाँति 'मेगा टैक्सटाईल पार्क पॉलिसी, 2014' के अन्तर्गत विस्तारीकरण हेतु मूल निर्धारित पूँजी निवेष का 25 प्रतिषत निवेष ही निर्धारित किया जाना चाहिए। इससे उद्यमी उत्तराखण्ड राज्य में पूँजी निवेष करने में रुचि लेंगे जिससे राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होने से युवाओं के पलायन की समस्या भी काफी हद तक दूर हो सकेगी।	
37	औद्योगिक प्लॉटों को फ्री–होल्ड किए जाने के सम्बन्ध में	महोदय, षासन द्वारा औद्योगिक आस्थानों में उद्योगों को लीज पर भूमि दी हुई है। इनमें से विभिन्न उद्योगों को औद्योगिक आस्थानों में कार्यरत रहते काफी समय बीत चुका है तथा उनके भूखण्डों की कीमत भी पूरी हो चुकी है। इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि विभिन्न औद्योगिक आस्थानों में स्थापित ऐसे उद्योग जिन्हें कार्यरत रहते 15 वर्श या उससे भी अधिक का समय बीत गया है तथा उनके भूखण्डों की कीमत भी पूरी हो गयी है, ऐसे	

		उद्योगों की भूमि को फ्री–होल्ड कराने की कृपा करें।	
38	भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में	महोदय, आपको अवगत कराना है कि राज्य में सर्किल रेट का 10 प्रतिषत अतिरिक्त चार्ज लेकर भू–उपयोग परिवर्तन किया जा रहा है। राज्य की विशम भौगोलिक परिस्थिति, सर्किल रेटों में बेतहाषा वृद्धि तथा उस पर भी सर्किल रेट का 10 प्रतिषत चार्ज लेकर भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने से राज्य में पूँजी निवेष आकर्शित नहीं हो पा रहा है। इससे राज्य के औद्योगिक विकास का क्रम निरन्तर घटता जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि औद्योगिक गतिविधियों हेतु भू–उपयोग परिवर्तन कराये जाने पर लागू सर्किल रेट का 10 प्रतिषत अतिरिक्त चार्ज समाप्त कराने की कृपा करें।	
39	सीडा द्वारा लागू कुछ कठोर नियमों के कारण सिडकुल द्वारा विकसित एकीकृत औद्योगिक आस्थानों में स्थित उद्योगों के समक्ष आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में	महोदय, आपको अवगत कराना है कि वर्तमान में सिडकुल द्वारा लागू कुछ कठोर नियमों के कारण उद्योगों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिसका यथाषीघ्र निराकरण किया जाना नितान्त आवष्यक है। ये बिन्दु निम्नलिखित हैं– 6.1. महोदय, वर्तमान मानदण्डों के अनुसार बिल्डिंग लाईन से 3.6 मीटर स्थान छोड़ने के बाद पार्किंग क्षेत्र निर्धारित किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि लघु श्रेणी की इकाईयाँ इस मानदण्ड को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि उनके पास बिल्डिंग लाईन से अधिकतम स्थान कुल 4.0 मीटर का ही है तथा वर्तमान मानदण्डों के अनुसार 3.6 मीटर स्थान छोड़ने के उपरान्त मात्र 0.4 मीटर की चौड़ाई ही षेश बचती है। इस षेश बची 0.4 मीटर की चौड़ाई में वाहनों की पार्किंग किसी भी स्थिति में सम्भव नहीं है। उपरोक्त के अतिरिक्त यदि स्टिल्ट अथवा बेसमेण्ट में पार्किंग की व्यवस्था की जाए तो भवन की लागत बहुत अधिक बढ़ जाती है जो कि लघु श्रेणी के उद्योगों के लिए वहन करना सम्भव नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि इन मानदण्डों को 5000 वर्गमीटर से कम	

		के औद्योगिक भूखण्डों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। सेटबैक क्षेत्र में मीटर रूम, गार्ड रूम, टाईम ऑफिस और टॉयलेट इत्यादि के निर्माण की अनुमति भी दी जानी चाहिए। 6.3. वर्तमान में लागू नियम के अनुसार इकाई परिसर के बाउण्ड्री वॉल की ऊँचाई 2.4 मीटर निर्धारित है। सुरक्षा की दृश्टि से बाउण्ड्री वॉल की ऊँचाई में इजाफा करने की आवष्यकता है, बाउण्ड्री वॉल की इस बढ़ी हुई ऊँचाई के लिए कम्पाउण्डिंग चार्ज लिया जा सकता है। 6.4. किसी कारण से बन्द हुई यूनिट को हस्तान्तरित करने में विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बन्द यूनिट प्रदूशण नियन्त्रण बोर्ड से एनओसी लेने में सक्षम नहीं हैं तथा प्रदूशण नियन्त्रण बोर्ड की एनओसी के बिना सीडा, सीटीओ की स्वीकृति देने में सक्षम नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि बन्द यूनिट के हस्तान्तरण हेतु निर्धारित कठोर नियमों का सरलीकरण किया जाना चाहिए ताकि बन्द यूनिट को किसी अन्य उद्यमी/उद्योग को आसानी से हस्तान्तरित किया जा सके।	
40	सीडा द्वारा औद्योगिक इकाईयों को कम्पलीषन सर्टीफिकेट प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में	महोदय, आपको अवगत कराना है कि सिडकुल द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थानों में उद्योगों के प्रोजेक्ट कम्पलीट होने पर सीडा द्वारा कम्पलीषन सर्टीफिकेट दिए जाने का प्रावधान है जो कि उद्योगों द्वारा बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं से ऋण एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु एक अति आवष्यक सर्टीफिकेट माना जाता है। हमारी सिडकुल, पन्तनगर स्थित विभिन्न सदस्य इकाईयों द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके प्रोजेक्ट कई वर्श पूर्व ही कम्पलीट हो गए हैं लेकिन अभी तक सीडा द्वारा उन्हें कम्पलीषन सर्टीफिकेट प्रदान नहीं किए गए हैं। इससे उन्हें ऋण इत्यादि लेने में अत्यधिक परेषानी का सामना करना पड़ रहा है। सिडकुल की ऐसी लगभग 40 फाईलें सीडा के पास लम्बित हैं। कुछ उद्योगों के प्रोजेक्ट तो 2015 में ही कम्पलीट हो गए थे।	

		इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि औद्योगिक इकाईयों को कम्पलीषन सर्टीफिकेट जारी करने हेतु सीडा को निर्देषित करने की कृपा करें।	
41	नए उद्योगों की स्थापना हेतु नक्षा पास कराये जाने के सम्बन्ध में	महोदय, राज्य में औद्योगिक क्षेत्र व नोटिफाईड एरिया में उद्योग की स्थापना हेतु राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) से नक्षा पास कराया जाता है तथा नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना हेतु जिला विकास प्राधिकरण से नक्षा पास कराये जाने का नियम है। नक्षा पास कराये जाने के लिए सीडा व जिला विकास प्राधिकरण के नियम अलग–अलग हैं जिससे नक्षा पास कराने में भ्रम की स्थिति होती है तथा उद्यमियों को विभिन्न परेषानियों का सामना करना पड़ता है। चूँकि सीडा का गठन ही औद्योगिक नक्षे पास कराये जाने के उद्देष्य से हुआ है अतः उद्योग चाहे औद्योगिक क्षेत्र, नोटिफाईड एरिया, नगरीय क्षेत्र अथवा ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित हों, उनका नक्षा सीडा द्वारा ही पास किये जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए। आवासीय और वाणिज्यिक प्रतिश्ठानों के नक्षे नगरपालिका, नगर निगम तथा जिला विकास प्राधिकरण द्वारा पास किये जाने चाहिए।	
	जिला पंचायतों द्वारा विभिन्न सड़कों पर की जा रही अवैध वसूली को रोके जाने के सम्बन्ध में	महोदय, आपको अवगत कराना है कि जिला पंचायत, नैनीताल व ऊधम सिंह नगर द्वारा विभिन्न सड़कों पर लदान–ढुलान षुल्क के नाम पर प्रति वाहन रु0 300/– से 500/– तक अवैध वसूली की जा रही है। जिला पंचायतें केवल उन स्थानों पर ही षुल्क वसूल कर सकती हैं जहाँ पर उन्होंने माल के लदान एवं ढुलान हेतु समुचित सुविधा उपलब्ध करा रखी हो। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर उन्हें वसूली का अधिकार नहीं है।	
	जिला उद्योग केन्द्र से सम्बन्धित बिन्दुः-		
	जिला उद्योग केन्द्र के विभागीय भूखण्डों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।	औद्योगिक आस्थान, किच्छा बाईपास रोड, रूद्रपुर में भूखण्ड संख्या बी–16,17 जो मैसर्स जनता इण्डस्ट्रीज, प्रो0 श्री मदनलाल खेडा के नाम से टिकली कोयला हेतु आवंटित है। इस सम्बन्ध में श्री विशाल खेडा का एक आवेदन पत्र जो दिनॉक 23.11.	उत्तराखण्ड शासन सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 999/VII-2/34–एम0एस0एम0ई0/2016 दिनॉक 26, मई 2016 के बिन्दु संख्या 14, 15 के 2 में यह

		2020 को प्राप्त हुआ था जिसमें उनके पिताजी श्री मदनलाल खेडा का देहान्त दिनॉक 06.03.2020 को हो गया है, उनके पंजीकृत वसीयत के क्रम में उक्त भूखण्डों को उनके पक्ष में हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में आवेदन किया है। श्री विशाल खेडा पुत्र स्व0 श्री मदनलाल खेडा के उपरोक्त आवेदन पत्र के क्रम में विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन प्रसारित किया गया तथा शासकीय अधिवक्ता उधमसिंह नगर से विधिक राय ली गई। शासकीय अधिवक्ता द्वारा राय दी गई कि उक्त भूखण्डों का हस्तान्तरण करने में कोई विधिक अर्चन नही है। तत्पश्चात् प्रकरण को कार्यालय के पत्र संख्या 2024 दिनॉक 03.03.2021 द्वारा निदेशालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। निदेशालय के पत्र संख्या 62 दिनॉक 06.04.2021 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड शासन सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 999 / VII-2 / 34–एम0एस0एम0ई0 / 2016 दिनॉक 26, मई 2016 के बिन्दु संख्या 14, 15 में दिये गये निर्देशों में हस्तान्तरण की कार्यवाही की जानी है।	उल्लिखित है कि:– '' हस्तान्तरण के मामलों में हस्तान्तरण हेतु संस्तुति देने का अधिकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला उद्योग मित्र को होगा। जिला उद्योग मित्र से प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर औद्योगिक आस्थान के भूखण्डों / शेडो के हस्तान्तरण की अनुमति निदेशक उद्योग द्वारा प्रदान की जायेगी।
		औद्योगिक आस्थान, किच्छा बाईपास रोड, रूद्रपुर में भूखण्ड संख्या सी–13 जो मैसर्स हिन्द टायर सर्विसेज प्रोपराईटर श्री भूपेन्द्र सिंह लाम्बा को रिपेयरिंग वर्कशॉप टायर रिट्रेडिंग कार्य हेतु आवंटित किया गया था। इकाई के प्रोपराईटर श्री भूपेन्द्र सिंह लाम्बा द्वारा आवेदन किया गया है कि अपने वृद्ध अवस्था एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण अपने उपरोक्त भूखण्डों को श्री विजय कुमार अरोरा पुत्र स्व श्री नारायण दास अरोरा, निवासी दुर्गा मन्दिर गली, रूद्रपुर साझेदार अमोल प्रिन्ट के पक्ष में हस्तान्तरण करना चाहते है तथा विभागीय नियमों का पालन नोटराईज्ड शपथ पत्र के माध्यम से दिनॉक 17.04.2021 को दिया गया है। भूखण्ड हस्तान्तरण के मार्गदर्शन के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 999 / VII-2 / 34–एम0एस0एम0ई0 / 2016 दिनॉक 26, मई 2016 के बिन्दु संख्या 14, 15 में दिये गये निर्देशों में हस्तान्तरण की कार्यवाही की जानी है।	उत्तराखण्ड शासन सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 999 / VII-2 / 34–एम0एस0एम0ई0 / 2016 दिनॉक 26, मई 2016 के बिन्दु संख्या 14, 15 के 2 में यह उल्लिखित है कि:– '' हस्तान्तरण के मामलों में हस्तान्तरण हेतु संस्तुति देने का अधिकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला उद्योग मित्र को होगा। जिला उद्योग मित्र से प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर औद्योगिक आस्थान के भूखण्डों / शेडो के हस्तान्तरण की अनुमति निदेशक उद्योग द्वारा प्रदान की जायेगी।
42	सी.एस.आर.के सन्दर्भ में चर्चा	अध्यक्ष महोदय द्वारा पूर्व बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में इस बैठक का प्रारम्भ सी.एस.आर. गतिविधि से किया जा रहा है।	
43	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से		